न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर.ए.एस

निगरानी सं0 14 / 17 दायर दिनांकः 28.07.2017

अनवान :– माणाराम पुत्र लालुराम जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम

1. मनीर खां पुत्र हासम खां जाति मुसलमान निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. इकबाल पुत्र लादु खां जाति मुसलमान निवासी सोनडी तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.07.2017 न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर को अपास्त करने बाबत।

उपस्थितः–1. मांगीलाल देहडु, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 07.11.2017

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः–

यह कि ग्राम सोनडी में पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ कच्चा आम रास्ता है जो नोहर रास्ता के नाम से जाना जाता है उक्त नोहर रास्ता को क्रोस करता हुआ उत्तर से दक्षिण रामकुमार, अमरसिंह छिम्पा के घर से मस्जीद की पास से गांव में जाता हुआ 25 फुट चौडा आम रास्ता है। ग्रामवासी इस रास्ता से होते हुए नोहर रास्ता पर जाते थे जंहा से आगे व नोहर आना जाना करते थे। उक्त रास्ता पर सीसी रोड मय नाला निर्माण हेतु पंचायत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

समिति नोहर द्वारा वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। दिनांक 19.01.2016 को अपीलार्थीगण ने सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य शीघ्र पुरा करने हेतु सरपंच से निवेदन किया तो सरपंच ने बताया कि रेस्पो. सं. 1 माणाराम ने गली की जगह पर पट्टा बनवा रखा है व कहा कि रेस्पो. सं. 1 माणाराम ने जरिये वकील अधिनियम की धारा 109 के अन्तर्गत नोटिस भिजवाया है कि उसकी पट्टाशुदा जगह में से नाली नही निकाली जावे और नोटिस के सलंग्न होकर प्राप्त ऐसे पट्टा की चित्रप्रति दी। पट्टा की प्रति मिलने पर पता चला कि रेस्पो. सं. 1 माणाराम ने बहुत पुराने समय से चालू रास्ता की जगह को सम्मिलित करते हुए दिनांक 26.04.1972 को 4166 दरगज क्षेत्र की जगह का पट्ट बनवा रखा है। अपीलाधीन पट्टा की जानकारी से 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत दरख्वास्त के साथ अपील अंदर मियाद पेश करना बताते हुए रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत सोनडी द्वारा दिनांक 26.04. 1972 को जारी पट्टा खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है।

यह कि रेस्पो. सं. 1 ने अपीलाधीन पट्टा सही होना बताया व कथन किया जब से यह पट्टा उसके पक्ष में जारी किया गय है तभी से ही वह उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड पर काबिज है व मकान निर्माण कर परिवार के साथ रिहाईश करता आ रहा है। इसी मकान के पट्टा से उसके पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि बने हुए है उसने यह भी कथन किया कि जब से होश संभाला है वह उक्त भूखण्ड पर काबिज है व भूखण्ड का मकान निर्माण कर रिहायश हेतु उपयोग व उपभोग करता आ रहा है व लम्बे समय से विवादित भूखण्ड का उपयोग उपभोग करते आ रहे होने से उसे उक्त भूखण्ड का प्रतिकुल स्वामित्व भी हासिल हो गया है। जिस समय यह पट्टा जारी हुआ था उस समय उसके भूखण्ड में से कोई रास्ता नही जाता था बल्कि भूखण्ड के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण रास्ता था। अपीलार्थीगण कोई मौजिज व्यक्ति नही है। इसलिए जनहित में उनको अपील करने का कोई अधिकार नही है बल्कि प्रार्थी से राजनैतिक रंजिश रखते है और इसी रंजिश के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर का निर्णय तथ्य एवं विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा वर्ष 1972 में बनाया गया था। प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि में से रास्ता निकालना चाहतें है जिस पर प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है। पंचायत समिति पट्टे को आंशिक निरस्त नही कर सकती। यह अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपील चुनावी रंजिश की वजह से पेश की थी। पचायत समिति ने अपील की कोई सूचना नही दी ना ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सुनवाई का अवसर दिया। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड व अप्रार्थी की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ पंचायत समिति ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा आंशिक खारिज किया है जबकि किसी पट्टे को आंशिक खारिज नही किया जा सकता। प्रार्थी का ग्राम में बहुत पुराना तामिरशुदा भूखण्ड है जिस पर प्रार्थी मकान बनाकर निवास कर रहा है। प्रार्थी के भूखण्ड में ना तो कोई रास्ता है ना ही कोई रास्ता कभी स्वीकृत हुआ है बल्कि भूखण्ड के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण रास्ता है। गली का कोई पट्टा जारी नही किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत ने आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व पट्टा जारी किया था, पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने समस्त औपचारिकताएं पुर्ण की थी। किसी के द्वारा कोई एतराज पेश नही किया गया । अब 50 वर्ष पश्चात यह अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जो संधारण योग्य ही नही थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया व अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रार्थी का पट्टा खारिज कर दिया जो तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमावें।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जनहित में सार्वजनिक कार्य हेतु ग्राम के कोई दो व्यक्ति न्यायालय में कार्यवाही कर सकतें है। अपीलांट भी ग्राम के निवासी है व सार्वजनिक रास्ते हेतु अपील प्रस्तुत की है जो विधि अनुकूल है। रेस्पो. ने ग्राम पंचायत से पट्टा तो जारी करवाया था लेकिन उस पट्टे की जानकारी किसी को नही थी। उक्त भूखण्ड में से गावं में रास्ता था जिससे ग्रामवासी आवागमन के काम में ले रहे थे किसी प्रकार की कोई बाधा नही थी ना ही कभी प्रार्थी ने किसी आने जाने वाले को रोका। अब उक्त रास्ता पर पंचायत समिति ने वित्तिय स्वीकृति सीसी रोड मय नाला निर्माण हेतु जारी की है तब यह जानकारी हुई कि प्रार्थी माना राम उक्त रास्ते की जगह को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी करवा रखा है। पट्टे की जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी जो जानकारी से अन्दर मियाद थी। पट्टा जारी करने की तारीख 26.04.1972 है जबकि उस समय माणाराम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की उम्र केवल मात्र सात वर्ष थी नाबालिग के पक्ष में पट्टा जारी नही किया जा सकता। इस तथ्य से यह साबित है कि उक्त पट्टा फर्जी व अवैध है। मौके पर कोई मकान व निर्माण नही है केवल मिथ्या कथन है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति को पक्षकार नही बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति में निगरानी स्वीकार नही की जा सकती जो *आरआरटी 2009 के पेज संख्या 152 में भी स्पष्ट किया गया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के संबंध में कानूनी नजीर 1984 आर.एल.डब्ल्यु. पेज 528 व 2009 आरआरटी पेज 152 के उद्धरण भी पेश किये।*

हमने बहस सुनी। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की गई जिसके अभाव में पट्टा को पढा नही जा सकता, साथ ही प्रार्थी का कथन कि वह उक्त भूखण्ड पर 50 वर्ष से निवास कर रहा है। यह तथ्य भी प्रार्थी ने साबित नही किये बल्कि अप्रार्थी के कथन अनुसार पट्टा जारी के समय प्रार्थी की आयु केवल 7 वर्ष थी। नाबालिग को किसी प्रकार का भूखण्ड आवंटन नही किया जा सकता। वर्तमान में मौके पर पट्टा जो रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है पर अब मकान निर्माण कर निवास कर रहा है लेकिन पंचायत समिति ने सीसी रोड बनाने के लिए वितिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर रखी है तथा सडक का कार्य भी चालु है। पंचायत समिति द्वारा मौके स्थिति अनुसार केवल रास्ते की भूमि का गली की हद तक ही पट्टा खारिज किया है जो विधि सम्मत है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति के निर्णय में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप व परिवर्तन की आवश्यकता नही समझतें है।

अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीसिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर